रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1986] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2010/आश्विन 1, 1932
No. 1986] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2010/ASVINA 1, 1932

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 सितम्बर, 2010

का.आ. 2337(अ).—राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में उल्लिखित) के अध्याय-III की धारा 30 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने भारत के राजपत्र में दिनांक 17 अप्रैल, 2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 893(अ) के जरिए इस अधिनियम की अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सभी संस्थानों के लिए 'परिषद्' की स्थापना की थी ।

2. इस अधिनियम की धारा 30 (अध्याय-III) के (2) की उप-धारा (ज) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित तीन संसद सदस्यों, दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से, को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् के सदस्यों के रूप में चुना गया है :

(i) प्रो. पी. जे. कुरियन, सदस्य, राज्य सभा;
(ii) श्री संजय धोत्रे, सदस्य, लोक सभा; और
(iii) श्री हसन खान, सदस्य, लोक सभा ।

3. इस अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) के अनुसार सभी संस्थानों के कार्यकलापों का समन्वय करना परिषद् का सामान्य कर्तव्य होगा । धारा 32(2) के अनुसार परिषद् उप-धारा (1) के प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना निम्नलिखित कार्य करेगी, अर्थात् :—

(क) संस्थानों द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों, डिग्रियों और अन्य विशेष योग्यताओं की अवधि, दाखिले के मानदंड और अन्य शैक्षिक मामलों पर सलाह देना;
(ख) कर्मचारियों के संवर्गों, भर्ती की पद्धतियों और सेवा शर्तों, छात्रवृत्तियों और शुल्क मुक्ति को संस्थागत बनाना, शुल्क विधान और सामान्य हित के अन्य मामलों के संबंध में नीति-निर्धारण करना;
(ग) प्रत्येक संस्थान की विकास योजनाओं का परीक्षण करना और उनमें से आवश्यक समझी जाने वाली योजनाओं को अनुमोदित करना तथा इस प्रकार अनुमोदित योजनाओं के वित्तीय निहितार्थों को व्यापक रूप से दर्शाना;
(घ) यदि अपेक्षित हो, तो कुलाध्यक्ष को इस अधिनियम के अंतर्गत उनके द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य के संबंध में परामर्श देना; और
(ङ) इस अधिनियम के अंतर्गत अथवा उसके द्वारा सुपुर्द कोई अन्य कार्य करना ।

4. कार्यकाल आदि इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अभिशासित होंगे ।

[फा. सं. एफ. 23-4/2008-टीएस. III (भाग)]
एन. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2010

S.O. 2337(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 30 of Chapter III of the National Institutes of Technology Act, 2007 (29 of 2007) (hereinafter referred to as 'Act'), the Central Government *vide* Notification No. S.O. 893(E), dated 17th April, 2008 in the Gazette of India established 'THE COUNCIL' for all the Institutes specified in column (3) of the Schedule of the Act.

2. In exercise of the powers conferred under sub-section (j) of (2) of Section 30 (Chapter III) of the Act, the three members of Parliament, of whom two shall be

chosen by the House of People and one by the Council of States, the following members of Parliament have been elected as the members of the National Institutes of Technology (NIT) Council by the Rajya Sabha and Lok Sabha, respectively :

(i) Prof. P. J. Kurien, Member, Rajya Sabha;

(ii) Shri Sanjay Dhotre, Member, Lok Sabha; and

(iii) Shri Hassan Khan, Member, Lok Sabha.

3. As per sub-section (1) of Section 32 of the Act, it shall be the general duty of the Council to co-ordinate the activities of all the Institutes. As per sub-section 32(2) without prejudice of the provisions of sub-section (1), the Council shall perform the following functions, namely :—

(a) to advise on matters relating to the duration of the courses, the degrees and other academic distinctions to be conferred by the Institutes, admission standards and other academic matters;

(b) to lay down policy regarding cadres, methods of recruitment and conditions of service of employees, institution of scholarships and freeships, levying of fees and other matters of common interest;

(c) to examine the development plans of each Institute and to approve such of them as are considered necessary and also to indicate broadly the financial implications of such approved plans;

(d) to advise the Visitor, if so required, in respect of any function to be performed by him under the Act; and

(e) to perform such other functions as are assigned to it by or under the Act.

4. The Term of Office etc. will be governed as per the provisions of the Act.

[F. No. F. 23-4/2008-TS. III (Pt.)]

N. K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.